GOVT. OF CHHATTISGARH

"अनुसूचित जातियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों के निवारण" के संबंध में श्री के0बी0 सक्सेना के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन 714

सरल कमांक	अनुशंसा क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	3	अनुशंसानुसार 3 टियेर ट्रेनिंग प्रोग्राम पुलिस तथा सिविल अधिकारियों हेतु चलाये जाने के सुझाव से राज्य शासन सहमत है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में राज्य शासन के सिविल तथा पुलिस अधिकारियों को सेंसिटाईजेशन/रिफ्रेशर प्रोग्राम तथा नयी भर्ती होने वाले अधिकारियों को इन्डक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत इस विषय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रीय अकादमी द्वारा प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है।
2	3.1	जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षकों की वार्षिक कार्यशाला राज्य प्रशासन अकादमी की सहमति से आवश्यकतानुसार आयोजित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यशाला में राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारी को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय, प्रशासन अकादमी एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया गया है।
3	4	राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 06 एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स स्थापित किये गये है तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है। पीओए एक्ट के तहत् बनाये गये नियम-1995 के अनुसार जिलों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति की कार्यवाही की गई है तथापि इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मापदंड निर्धारित करने पर उन मापदण्डों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4	5	राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सतर्कता, मानीटरिंग समितियों की बैठकें राज्य में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। समितियों का गठन अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों तथा आकस्मिकता नियम 1995 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इन समितियों में नियत संख्या में जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक में माननीय गृहमंत्री तथा माननीय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्रीजी भी सदस्य हैं। समिति की बैठक में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समितियों द्वारा नियमित बैठकें लिये जाने बाबत् समीक्षा की जाती है। समय-समय पर आयोजित कलेक्टर कान्फ्रेंस में इस विषय पर भी समीक्षा की जाती है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। बैठकों का कार्यवाही विवरण सर्वसंबंधितों को जारी किया जाता है। भविष्य में इसे राज्य की वेबसाईट में रखने पर विचार किया जावेगा।
5	7	वर्तमान में इस राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपर सवर्णों एवं अन्य वर्गों के द्वारा अत्याचार अपराध, छुआछूत, प्रताड़ना आदि घटनाओं के संबंध में प्रचलित अधिनियम एवं कानून में किये गये प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

सरल कमांक	अनुशंसा कमांक	पालन प्रतिवेदन
6	8	राज्य में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उपर हो रहे अत्याचार एवं हिंसा के प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई के लिए तथा राहत राशि स्वीकृत कर (आर्थिक सहायता) प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करने में संवेदनशीलता बरतने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 05 विभिन्न पुरस्कार क्रमशः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रानी सुबरन कुंवर, शहीद वीरनारायण सिंह एवं गुरूघासीदास पुरस्कार (शील्ड एवं नगद राशि) अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों के निराकरण एवं बेहतर कार्य करने एवं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किये जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु तथा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं कार्यवाही की दिशा में उत्तरदायित्व की भावना से उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस स्टेशन को पुरस्कृत करने हेतु अनुशंसा बिन्दु के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया गया है।
7	10.3	अत्याचार प्रभावितों को तत्काल राहत एवं सहायता प्रदान करने के प्रावधान पूर्व से ही हैं। राहत राशि का सही उपयोग करने के लिये जिला कलेक्टरों को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2011 को दिये जा चुके हैं। पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठकों में की जाती है। राज्य में अत्याचार प्रभावित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सम्पत्ति के नुकसान का मूल्यांकन कर उसे सहायता प्रदान करने का प्रावधान पूर्व से ही आकस्मिकता नियम 1995 में किया गया है तथा उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में पीड़ित व्यक्ति को यात्रा भत्ता, परिवहन सुविधायें, चिकित्सा सुविधा, वस्त्र, भोजन, आवास, पुनर्वास, रोजगार, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास आदि की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
7	10.4	संबंधित नहीं ।
9	15	आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिलों में आजाक थाना एवं आजाक प्रकोष्ठ की पदस्थापना की गई है। जिनमें उपपुलिस अधीक्षक स्तर के महिला अधिकारी एवं निरीक्षक तथा प्रकोष्ठों में भी प्रकरणों की विवेचना हेतु उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध घटित हिंसा एवं अपराध की घटनाओं/शिकायतों आदि के अनुसंधान एवं जांच का कार्य संचालित किया जा रहा है।
10	16	वर्तमान में राज्य में क्रमशः जिला- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा में महिला थाना स्थापित है। शेष जिलों में महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिये महिला पुलिस की व्यवस्था जिला पुलिस बल से की जाकर उनकी जांच की कार्यवाही महिला पुलिस द्वारा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

712

सरल कमांक	अनुशंसा क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
11	17	प्रदेश में सामान्यतः अनुसूचित जाति महिलाओं पर होने वाले दुर्व्यवहार/हिंसा की शिकायतों को त्वरित रूप से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। तथापि जहॉ कहीं भी ऐसी शिकायत अपवाद स्वरूप मिलती है, उस पर राज्य शासन की ओर से त्वरित कार्यवाही की जाती है। महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु प्रदेश में महिला थानों की भी स्थापना की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य महिला आयोग द्वारा भी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की शिकायतों पर सक्षम कार्यवाही की जाती है। महिलाओं का उत्पाड़न/ दुर्व्यवहार/हिंसा रोकन हेतु उन्हें प्रदत्त अधिकारों और शासन की संबंधित एजेंसियों के संबंध में अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। जिसमें महिला एवं बाल विकास के ब्लाक/परियोजना स्तर के अधिकारियों तथा विधिक सहायता अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
12	18	अनुशंसा अनुसार अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति महिलाओं का स्वसहायता समूह गठित किये जाने तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने के सुझाव से राज्य शासन सहमत है। वर्तमान में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों के पहचान का कार्य प्रक्रियाधीन है चिन्हांकन पश्चात् महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य महिला आयोग एवं विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टर महिला बाल विकास एवं छ0ग0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
13	20	इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टर एवं महिला एवं बाल विकास को अवगत कराया गया है।
14	23	अनुशंसा के पालन हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
15	24	अनुशंसा के पालन हेतु पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया गया है।
16	24.1	अनुशंसा के पालन हेतु महानिरीक्षक जेल को निर्देशित किया गया है।
17	25	अनुशंसा के पालन हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
18 से 24	30, 35 एवं 57 से 61	संबंधित नहीं
25	62	महिलाओं एवं बच्चों के अवैध दुर्व्यापार को रोकने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में Anti Human Traffiking Unit का गठन किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक इसके नोडल अधिकारी हैं जो नोडल अधिकारी के रूप में भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यों को संपादित कर रहे हैं। इसी प्रकार जिलों में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एवं उनके सहयोगी के रूप में निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को Anti Human Traffiking Unit में शामिल किया जाकर पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में कार्य कर रहें हैं। इन यूनिटों के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के ऐसे 4 संभावित जिले जहां पर इस शीर्ष में अपराध होने की संभावनाएं हैं। क्रमशः जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ एवं कोरबा में इस यूनिट को स्थापित किया गया है।

71

सरल कमांक	अनुशंसा कमांक	पालन प्रतिवेदन
26 से 28	63, 65 एवं 67	अनुशंसा के पालन हेतु श्रम विभाग को निर्देशित किया गया है।
29	77	अनुशंसा के पालन हेतु श्रम विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया गया है।
30	86	अनुशंसा के पालन हेतु श्रम विभाग को निर्देशित किया गया है।
31	88	अनुशंसा के पालन हेतु श्रम विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया गया है।
32 से 41	96 से 105	अनुशंसा के पालन हेतु राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है।
42	107	अनुशंसा के पालन हेतु समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
43 से 46	111 से 114	अनुशंसा के पालन हेतु समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया है।
47	121	अनुशंसा के पालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया गया है।
48	130	प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना मद से आर्थिक विकास तथा अधोसंरचना विकास के कार्यक्रम लिए जा रहे है। अनुसूचित जाति उपयोजना मद के लिए बजट में पृथक से मांग संख्याएं खोलकर राज्य के बजट में प्रावधान किया जाता है जो कि अपरिवर्तनीय होता है अनुसूचित जाति उपयोजना मद में किये गये बजट प्रावधान के विरूद्ध विभिन्न विकास विभागों द्वारा किये गये व्यय की वार्षिक समीक्षा प्रतिवर्ष प्रशासकीय विभाग (आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग) द्वारा की जाती है एवं जिन विभागों के व्यय का प्रतिशत कम होता है उन्हें बजट के पूर्ण उपयोग हेतु समुचित निर्देश दिये जाते है। प्रदेश में प्रावधानित राशि को दुरूपयोग की स्थिति नहीं है।

(डॉ0 अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0वि0वि0